बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

संकल्प

पत्रांक-5/आ03-07/2016- 788   पटना, दिनांक- 21.9.16

श्री राघवेन्द्र कुमार, सहायक अभियंता (असैनिक) लोक स्वास्थ्य अवर प्रमंडल, बाढ़ के विरूद्व पटना जिला अन्तर्गत मोकामा नगर परिषद में कार्यान्वित पेयजल आपूर्ति योजना एवं मोकामा शहरी जलापूर्ति योजना के कार्यान्वयन में अनियमितता बरतने का मामला संज्ञान में आया। उक्त आरोपों के आलोक में जांचोपरांत समीक्षा के क्रम में यह पाया गया है कि श्री कुमार के विरूद्व लगाये गये आरोप प्रथम दृष्टया प्रमाणित होते हैं तथा सरकारी सेवक के रूप में श्री कुमार का प्रतिकूल आचरण है। फलत: उनके विरूद्व आरोप प्रपत्र 'क' में आरोप गठित किया गया।

(2) वर्णित परिप्रेक्ष्य में श्री कुमार के विरूद्ध अभिकथित आरोपों के लिए बिहार राज्यपाल यह आदेश देते है कि श्री राघवेन्द्र कुमार, सहायक अभियंता (असैनिक) लोक स्वास्थ्य अवर प्रमंडल, बाढ़ के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-17 (2) के अधीन विभागीय कार्यवाही संस्थित की जाय। एतदर्थ बिहार राज्यपाल विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु श्री डी0पी0सिंह, अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को जांच संचालन पदाधिकारी एवं कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, पटना पूर्व, पटना को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त करते हैं।

(3) आरोपित श्री कुमार, संकल्प प्राप्ति की तिथि से 10 दिवसों के भीतर उस तिथि एवं उस समय पर, जो जांच संचालन पदाधिकारी इस निमित्त लिखित नोटिस द्वारा विनिर्दिष्ट करें अथवा उनके द्वारा यथा विनिर्दिष्ट उस अतिरिक्त 10 दिनों से अनधिक, उनके समक्ष उपस्थित होंगे तथा अनुबंध में विनिर्दिष्ट आरोपों के संबंध अपना लिखित बचाव बयान समर्पित करेंगे।

(4) जांच संचालन पदाधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-17 में विहित प्रावधानो के अनुसार जांच कार्य संपन्न करेंगे तथा निर्धारित समय-सीमा के भीतर जांच प्रतिवेदन उपलब्ध करायेंगे।

(5) **आदेशः**- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति आरोप प्रपत्र 'क' के साथ श्री राघवेन्द्र कुमार, सहायक अभियंता (असैनिक) लोक स्वास्थ्य अवर प्रमंडल, बाढ़, जांच संचालन पदाधिकारी, श्री डी0पी0सिंह, अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना एवं प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, पटना पूर्व, पटना को दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(राजेन्द्र प्रसाद सिंह)
अपर सचिव

ज्ञापांक-5/आ03-07/2016- 788 पटना, दिनांक- 21.9.16

(2) प्रतिलिपिः-आरोप पत्र की प्रति के साथ जांच संचालन पदाधिकारी, श्री डी0पी0सिंह, अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना एवं प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, पटना पूर्व, पटना एवं श्री राघवेन्द्र कुमार, सहायक अभियंता (असैनिक) लोक स्वास्थ्य अवर प्रमंडल, बाढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(राजेन्द्र प्रसाद सिंह)
अपर सचिव

ज्ञापांक-5/आ03-07/2016- 788 पटना, दिनांक- 21.9.16

प्रतिलिपिः-प्रधान सचिव के आप्त सचिव/उप सचिव/सभी मुख्य अभियंता (क्षेत्रीय सहित)/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता/मुख्यालय के सभी पदाधिकारी तथा प्रशाखा पदाधिकारी-1/आई0टी0 मैनेजर, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(राजेन्द्र प्रसाद सिंह)
अपर सचिव

A. Sanj. sankalp

बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

आरोप प्रपत्र 'क'

आरोपित पदाधिकारी का नाम	–	श्री राघवेन्द्र कुमार
पदनाम	–	सहायक अभियंता (असैनिक), लोक स्वास्थ्य अवर प्रमंडल, बाढ़।
वेतनमान	–	9300–34,800/– (ग्रेड पे–5400/–)
प्रथम नियुक्ति की तिथि	–	11.08.2008
जन्म तिथि	–	29.11.1980
सेवानिवृत्ति की तिथि	–	30.11.2040
आरोप का वर्ष	–	वर्ष 2015–16

आरोप

आरोप संख्या–1

मोकामा नगर परिषद् में कार्यान्वित पेयजल आपूर्ति योजना में अनियमितता संबंधी परिवाद के आलोक में मुख्य अभियंता (रूपांकण), लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना के द्वारा परिवाद की जांच करायी गयी। जांच प्रतिवेदन में यह निष्कर्ष संसूचित किया गया कि योजना के कार्यान्वयन के समय आपके द्वारा स्थल निरीक्षण नहीं किया गया, जिसके लिए आप दोषी हैं।

आरोप संख्या–2

प्रतिवेदित जांच प्रतिवेदन के अनुसार मोलदियार टोला पम्प हाउस के सामने वाले मुख्य सड़क पर 200एम0एम0 सी0आई0 पाईप बिछा हुआ पाया गया, जो सड़क से 100एम0एम0 नीचे था। श्री महेश सिंह के घर के पास 100एम0एम0 सी0आई0 पाईप बिछा हुआ पाया गया, जो सड़क से 150एम0एम0 नीचे था। श्री कृष्ण लाल के घर के सामने 250एम0एम0 सी0आई0 पाईप बिछा हुआ पाया गया, जो सड़क से 60एम0एम0 नीचे था। उपर्युक्त सभी गहरायी एस0बी0डी0 में दिये गये प्रावधान 1000एम0एम0 से कम पाया गया, जो निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं है, इसके लिए आप दोषी हैं।

आरोप संख्या–3

प्रतिवेदित जांच प्रतिवेदन के अनुसार श्री बालमुकुन्द शर्मा से बब्लू सिंह के घर तक पाईप अभी तक नहीं डाला गया है। वितरण प्रणाली के स्वीकृत नक्शा के नोड 20 से 22 तक पाईन लाईन नं0 27 में 100एम0एम0 आकार के 55 मी0 पाईप बिछाया जाना था। यह कार्य अभी तक नहीं कराया गया है। इसके लिए आप दोषी हैं।

आरोप संख्या–4

प्रतिवेदित जांच प्रतिवेदन के अनुसार पाईप डालने हेतु सड़क काटने के बाद इसे भरकर लेबलिंग किया गया है, परंतु अभी तक कंक्रीटिंग नहीं किया गया है। इसके लिए आप दोषी हैं।

आरोप संख्या–5

आपके द्वारा पटना जिला अन्तर्गत मोकामा नगर परिषद् में कार्यान्वित पेयजल आपूर्ति योजना के कार्यान्वयन में अनियमितता बरते जाने एवं जनोपयोगी कार्य को सही ढंग से संपादित नहीं कराये जाने के कारण विभागीय पत्रांक–235 दिनांक–14.03.2016 द्वारा बिन्दुवार स्पष्टीकरण की मांग की गई थी, जो आपके द्वारा बिन्दुवार स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किया गया, जिसके लिए आप दोषी हैं।

21.9.16
(राजेन्द्र प्रसाद सिंह)
अपर सचिव

साक्ष्य

1. जांच पदाधिकारी, मुख्य अभियंता (रूपांकण) के गै0स0प्रे0सं0–33 दिनांक–13.01.2016 एवं गै0स0प्रे0सं0–44 दिनांक–19.02.2016 से प्राप्त जांच प्रतिवेदन की छायाप्रति संलग्न।
2. विभागीय पत्रांक–235 दिनांक–14.03.2016 द्वारा पूछे गये स्पष्टीकरण की छायाप्रति संलग्न।

21.9.16
(राजेन्द्र प्रसाद सिंह)
अपर सचिव